

न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 134/2024(GCMS : 2024/198)

आवास फाईनेंशियर्स लिमिटेड रजिस्टर्ड पता – 201, 202 द्वितीय तल साउथ एण्ड स्क्वायर मानसरोवर इंडस्ट्रियल एरिया, जयपुर-302020 स्थानीय शाखा नजदीक राजस्थान पत्रिका मार्ग, आईसीआईसीआई के ऊपर शिव चौक, सूरतगढ़ रोड़, श्रीगंगानगर जरिये अधिकृत प्रतिनिधि प्रेम सुथार

बनाम

1. इन्द्रजीत कौर पत्नी श्री जज सिंह निवासी वार्ड नं 1, 01 एन जगतेवाला, ग्राम पंचायत 25 एफ गुलाबेवाला, तहसील केसरीसिंहपुर, जिला श्रीगंगानगर (राज.)-335027
2. जज सिंह पुत्र श्री बलदेव सिंह निवासी वार्ड नं 1, 01 एन जगतेवाला, ग्राम पंचायत 25 एफ गुलाबेवाला, तहसील केसरीसिंहपुर, जिला श्रीगंगानगर(राज.)-335027
3. लखविन्द्र सिंह पुत्र श्री सुखपाल सिंह निवासी वार्ड नं 1, 01 एन जगतेवाला, ग्राम पंचायत 25 एफ गुलाबेवाला, तहसील केसरीसिंहपुर, जिला श्रीगंगानगर (राज.)-335027



13.11.2024

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री योगेन्द्र मूंड ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण इन्द्रजीत कौर, जज सिंह एवं लखविन्द्र सिंह को ऋण सुविधा के रूप में 3.00/- रूपये ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 11.07.2022 को प्रदान की थी, जिसमें से पार्ट पेमेंट 1.80/- लाख रूपये की गई थी और ऋणी द्वारा ऋण का भुगतान प्रथम वर्ष में सुचारू रूप से एवं ऋण अनुबंध के अनुसार नहीं किये जाने के कारण शेष स्वीकृत ऋण का भुगतान ऋणी को नहीं किया गया और ऋणी के ऋण को ऋण अनुबंध के अनुसार 1.80/- लाख रूपये तक सीमित कर दिया गया। अप्रार्थीगण के



Mand
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

दिनांक 06.06.2024 को 1,97,124/- रुपये की राशि बकाया थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी इन्द्रजीत कौर द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति आवासीय पट्टा सं. 58, बुक सं. 01, 01 एन जगतेवाला, ग्राम पंचायत 25 एफ गुलाबेवाला, तहसील केसरीसिंहपुर, जिला श्रीगंगानगर (राज.)-335027, जिसके उत्तर दिशा में गली, दक्षिण दिशा में सुखदेव सिंह, पूर्व दिशा में नाजम सिंह, पश्चिम दिशा में भूपेन्द्र सिंह है, जिसका साईज 4900 वर्गफुट है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण इन्द्रजीत कौर, जज सिंह एवं लखविन्द्र सिंह को ऋण सुविधा के रूप में 3.00/- लाख रुपये (अखये रुपये तीन लाख मात्र) की स्वीकृति दिनांक 11.07.2022 को प्रदान की थी और ऋण अनुबंध की शर्तों के अनुसार प्रथम किश्त 1.80/- रुपये पार्ट पेमेंट तक सीमित कर दिया गया। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी इन्द्रजीत कौर ने अपनी अचल सम्पत्ति आवासीय पट्टा सं. 58, बुक सं. 01, 01 एन जगतेवाला, ग्राम पंचायत 25 एफ गुलाबेवाला, तहसील केसरीसिंहपुर, जिला श्रीगंगानगर (राज.)-335027, जिसके उत्तर दिशा में गली, दक्षिण दिशा में सुखदेव सिंह, पूर्व दिशा में नाजम सिंह, पश्चिम दिशा में भूपेन्द्र सिंह है, जिसका साईज 4900 वर्गफुट है, को प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 03.06.2024 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये थे। पत्रावली में उपलब्ध पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रैक के अनुसार अप्रार्थीगण को 13(2) के नोटिस प्राप्त हो गये है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में अप्रार्थी इन्द्रजीत कौर की अचल सम्पत्ति आवासीय पट्टा सं. 58, बुक सं. 01, 01 एन जगतेवाला, ग्राम पंचायत 25 एफ गुलाबेवाला, तहसील केसरीसिंहपुर, जिला श्रीगंगानगर (राज.)-335027, जिसके उत्तर दिशा में गली, दक्षिण दिशा में सुखदेव सिंह, पूर्व दिशा में नाजम सिंह, पश्चिम दिशा में भूपेन्द्र सिंह है, जिसका साईज 4900 वर्गफुट है, जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबंध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 06.06.2024 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस, अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 07.06.2024 को भिजवाये गये थे, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है तथा अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के पोस्ट आफिस द्वारा ऑनलाईन ट्रैक भी पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नहीं करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया


जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी इन्द्रजीत कौर द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपत्तियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी आवास फाईनेंशियर्स लिमिटेड का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी ऋणी इन्द्रजीत कौर द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति आवासीय पट्टा सं. 58, बुक सं. 01, 01 एन जगतेवाला, ग्राम पंचायत 25 एफ गुलाबेवाला, तहसील केसरीसिंहपुर, जिला श्रीगंगानगर (राज.)-335027, जिसके उत्तर दिशा में गली, दक्षिण दिशा में सुखदेव सिंह, पूर्व दिशा में नाजम सिंह, पश्चिम दिशा में भूपेन्द्र सिंह है, जिसका साईज 4900 वर्गफुट है, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावे। सहायता उपलब्ध करवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति किसी भी न्यायालय में विवादित अथवा स्थगन से प्रभावित तो नहीं है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 13.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर